संख्या-42/2021/1073/26-3-2021-3(3)/2016

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत ए0के0एस0 इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से करायी गयी सिक्योरिटी आडिट (सक्षम) का वर्ष 2020-21 के बिल के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2474/स0क0/शिक्षा-अ/3/51/2020-21, दिनांक-07.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ए0के0एस0 इन्फार्मेशन टेक्नोलाॅजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से करायी गयी सिक्योरिटी आडिट (सक्षम) का वर्ष 2020-21 के बिल के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु शासनादेश संख्या-58/2020/1065/26-3-2020-3(3)/2016 टी.सी., दिनांक-03.04.2020 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-200.00 लाख में से छात्रवृत्ति पोर्टल (सक्षम) के एप्लीकेशन के सिक्योरिटी आडिट पर व्यय **धनराशि रू0-67,850/- (रूपये सड़सठ हजार आठ सौ पचास मात्र)** व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ0संख्या-42/2021/1073 (1)/26-3-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in